

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पृष्ठ-३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सायडी

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कारोलिया  
व भू.अ.नि. चौकडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कारोलिया तहसील रेलमगरा  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् १०११ से स्थार में खाता संख्या 159 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कारोलिया	159	मेकलाल/गणेश बलई	मेकलाल/गणेश लाल

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- 185  
प्रतिलिपि :-

दिनांक: 4 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री मेकलाल/गणेश लाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायदा मेकलाल/गणेश लाल - कारोलिया

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....